कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा।

सूचना

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 6221/Admin G-I/ 2019 Allahabad Dated 14-05-2019 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 102/सात–न्याय–2–2015–728/86 दिनांकित 18.06.2015 के अधीन तथा जनपद न्यायाधीश गोण्डा से विचार विमर्श के उपरान्त परिवार न्यायालय गोण्डा में परामर्शदाता की आबद्धता के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

1– अर्हव्यक्तियों से आवेदन पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।

2– यह प्रयास किया जायेगा कि उक्त व्यक्ति उसी जिले से सम्बंधित हो जहॉ पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नही मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नही है।

3– शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्हव्यक्ति समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान में से किसी एक में से स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउन्सिलिंग में जिन्हे 02 वर्ष का अनुभव है उन्हे वरीयता दी जायेगी।

4– विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

5– आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कुटनी की जायेगी और यथा सम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

6– राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार एवं बाल विकास से सम्बधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।

7– परामर्शदाता हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

8– परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन साल का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर तीन वर्ष के लिए उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

9– परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नही मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

उक्त प्रक्रिया के अर्न्तगत परामर्शदाता के अबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित दिनांक 28.05.2019 तक प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय गोण्डा में अनिवार्य रूप से शाम पांच बजे तक उपलब्ध करा दें। इसके पश्चात प्राप्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय,
गोण्डा।

प्रतिलिपि–

1– जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

2– जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रमुख समाचार पत्रों में ।

नोट– इसकी प्रति माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर भी डाली जाये।